उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–230 / ग्यारह–9(205) / 2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(153)–2016
दिनांकः मार्च 11, 2016

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 12 सितम्बर, 2015 से दस वर्ष की अवधि के लिये, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर **शत प्रतिशत बायो फ्यूल से संचालित होने वाली मशीनरी** के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।